भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1219
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राथमिकियां

†1219. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89, 90, 91, 92 और 93 के अंतर्गत प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान थानों में दर्ज प्राथमिकियों की राज्य-वार, अनुभाग-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) एवं (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', 'राज्य सूची' के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने एवं उनकी जांच की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा सूचित किये गये अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा को संकलित करता है एवं उसे अपने वार्षिक प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। एनसीआरबी ने सूचित किया है कि ऐसा विशिष्ट डेटा उसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है।

*****